न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0न0 31/अपील/24 तारीख दायराः 12.11.2024

हरिसिंह पुत्र दौलत सिंह जाति राजपूत आयु 78 साल
निवासी लाड़खेड़ा तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़ (रेस्पोंडेण्ट)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार पचपहाड निर्णय दिनांक 01.10.2024
मिसल न0 955/2024

—: निर्णय :— **दिनांकः 26.11.2024**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 01.10.2024 जो मिसल न0 955/2024 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम लाड़खेड़ा तहसील पचपहाड़ की आराजी ख0न0 395 किस्म गे0मु0 पहाड़ की रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी मानकर 55/—रू0 शास्ती तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं कानून के विरूद्ध है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित किये जाने से निरस्तनीय है। अपीलांट का विवादास्पद आराजी पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं है ना ही भविष्य में किसी प्रकार का कब्जा करेगा। अपीलांट 78 साल के बुजुर्ग है एवं अक्सर बीमार रहता है अतः अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.10.2024 निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अपीलान्ट ने स्वयं उपस्थित हो व्यक्त किया कि मौके उक्त प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 395 रकबा 0.2529 हैक्टेयर किस्म गे0 मु0 पहाड़ की भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है एवं भूमि अब पड़त पड़ी है। जुर्माना की राशि भी जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने प्रस्तुत पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर बेदखल कर दण्डित किया गया था इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था तत्समय आदेश किये जाने के समय प्रार्थी का उक्त भूमि पर अतिक्रमण था अब चूंकि **अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट का उक्त प्रश्नगत आराजी से कब्जा हटा लिया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है।** अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम 10000/– रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांकः 26.11.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़